बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग (**BPSC**) द्वारा आयोजित''विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण (**TRE**–2)'' के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के **Counselling** के संबंध में।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–27/2023 के आलोक में ''विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण (TRE–2)'' के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा दिसम्बर–2023 में आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है/होना है। सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा परिणाम को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाईट https:://www.bpsc.bih.nic.in पर देख सकते है।

उक्त के आलोक में *पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग* हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का **Counselling** निम्न सारणी के स्तंभ–2 एवं 3 में अंकित पद एवं विषय के लिए स्तंभ–1 में अंकित तिथि के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, कंकड़बाग, पटना (नियर तनिष्क शोरूम के बगल मे) में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है :–

दिनांक	पद	विषय
1	2	3
27.12.2023	प्रधानाध्यापक	–
27.12.2023	प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा–6 से 8 तक)	भाषा, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
28.12.2023	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)	अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, शारिरिक शिक्षक, संगीत/कला, कम्प्यूटर
29.12.2023 एवं 30.12.2023	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT)	अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, सामाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा

नोटः—**Counselling** की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।

➢ अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशः—

निर्धारित तिथि एवं समय को Counselling हेतु अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित कागजात/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे :—

1. बिहार लोक सेवा आयोग की ''विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण (TRE—2)'' का मूल प्रवेश—पत्र एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण—पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाऊनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, की एक—एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. CTET/BTET/STET उत्तीर्णता प्रमाण—पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. पासपोर्ट साईज का तीन फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया गया था।
6. आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण—पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
7. जन्म तिथि में छूट (यदि लागू हो) से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
8. Counselling हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग—6—8 वर्ग—09—10, वर्ग—11—12 एवं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थी Orientation Programme के लिए 15 दिनों हेतु सभी आवश्यक तैयारी के साथ आएंगे।
9. अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थित होंगे।
10. पंचायती राज/नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात् एक पक्ष के अन्दर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी/अर्द्ध—सरकारी सेवा/नियोजन में हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे एवं एक पक्ष के अन्दर विरमन पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।

11. अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक एकाउन्ट नम्बर के साथ Cancelled Cheque/Pass Book की प्रति Counselling के समय अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

12. सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नम्बर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ लेते आएंगे।

13. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र (दो प्रति मूल में) (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare**) पर उपलब्ध है), Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (मूल में), Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

15. उक्त कंडिका–1 से 14 तक में अंकित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति दो सेट में (स्व अभिप्रमाणित)।

नोटः–(क) यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) रद्द करने का एकाधिकार विभाग का होगा।

(ख) प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare** पर भी देखी जा सकती है।

उप निदेशक,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1 इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

2 यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किये जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष–मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाय, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।

3 यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया गया है, तो उसकी सेवाएॅ समाप्त की जा सकती है।

1	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम(यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो विनिर्दिष्ट करें)	कुलनाम– नाम–
2	वर्तमान पूरा पता अर्थात गॉव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर	
3	(क) घर का पूरा पता अर्थात गॉव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सडक व शहर और जिला मुख्यालय का नाम। (ख)यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश(पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहॉ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।	
4	गत पॉच वर्षो के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें(आवास–अवधि सहित) जहॅं आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।	

से	तक	आवास का पूरा पता(अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं0 / गली / स्ट्रीट / सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5

नाम	राष्ट्रीय(जन्म और / अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय(यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता(दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता(उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) मॉ (ग) पत्नी / पति (घ) भाई (ड.) बहन / बहनें					

6 उस पुत्र / पुत्रों और पुत्री / पुत्रियों के बारें में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:—

नाम	राष्ट्रीयता(जन्म और / अथवा अधिवास द्वारा	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे / रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ रहे / रह रहे हैं।
1	2	3	4	5

7

राष्ट्रीयता
8 (क) जन्मतिथि (क) (ख) वर्तमान आयु (ख) (ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु (ग)
9 (क) जिले एवं राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क) (ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख) (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबंद्ध हैं। (ग)
10 (क) आपका धर्म (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे सम्बद्ध हों, उसका नाम लिखें।

11 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

12 (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोडने के कारण

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।
(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी ? क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण मॉगा गया।

13(i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हॉ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हॉ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हॉ/नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है ? हॉ/नहीं

(ड.) क्या किसी विधि–न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हॉ/नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि–न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया गया है ? हॉ/नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हॉ/नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ? हॉ/नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरूद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हॉ/नहीं

(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ? हॉ/नहीं

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ? हॉ/नहीं

(ii) यदि प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोटः– (i)कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें।
(ii)प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

14 अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1

2

15 मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाउँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...

तारीख..

स्थान...

<u>कार्यालय द्वारा भरा जाएगा</u>

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता	
(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।	